वनडे रैंकिंग के टॉप 10 में शुभमन समेत 3 भारतीय

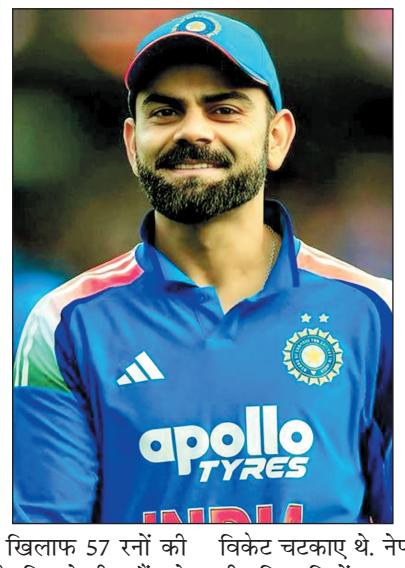

नई दिल्ली, 05 अगस्त. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को पुरुष वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें नीदरलैंड, नेपाल और नामीबिया के प्लेयर्स की बल्ले-बल्ले हो गई. नीदरलैंड टीम जारी आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 कॉम्पिटिशन में अच्छी फॉर्म में है.

हाल ही में उसने यूट्रेक्ट में नेपाल को 57 रन से शिकस्त दी. नीदरलैंड की नजर अब आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवेंट में एंट्री करने पर है. कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने नेपाल के खिलाफ 57 रनों की पारी खेली, जिससे नीदरलैंड ने लीग 2 तालिका में टॉप चार में अपनी जगह और पक्की कर ली. एडवर्ड्स वनडे बल्लेबाजों की लेटेस्ट रैंकिंग में चार पायदान चढ़कर 34वें नंबर पर आ गए हैं.

वहीं, वनडे बॉलर रैंकिंग में अनुभवी स्पिनर रोएलोफ वैन डेर मर्व नेपाल के खिलाफ दो विकेट लेने के बाद 11 स्थान की छलांग लगाई. वह अब संयुक्त रूप से 63वें स्थान पर आ गए हैं. रोएलोफ के साथी लोगान वैन बीक तीन स्थान ऊपर 76वें पर पहुंच गए. उन्होंने मैच में दो विकेट चटकाए थे. नेपाल के भी तीन खिलाड़ियों का फायदा हुआ है. ललित राजबंशी (एक स्थान ऊपर 45वें पर) और करण केसी (सात स्थान ऊपर 83वें पर) वनडे बॉलर्स की अपडेटेड लिस्ट में आगे बढ़े हैं. नेपाल के आसिफ शेख दो स्थान ऊपर चढ़कर वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में 76वें नंबर पर आ गए. नामीबिया ने नीदरलैंड और नेपाल के साथ लीग 2 ट्राई सीरीज में हिस्सा लिया और उसके चार खिलाड़ी ने लेटेस्ट वनडे रैंकिंग में बढ़त हासिल की है. जान फ्राइलिंक बल्लेबाजों की सूची में 16 पायदान ऊपर 90वें नंबर पर आ गए हैं. रूबेन ट्रम्पेलमैन बॉलर्स की लिस्ट में पांच स्थान चढ़कर 87वें नंबर पर आ गए हैं. वनडे बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में कप्तान शुभमन गिल समेत तीन भारतीय हैं. शुभमन शीर्ष पर काबिज हैं. न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे नंबर पर हैं. शुभमन गिल ने पिछले हफ्ते मिचेल से बादशाहत छीनी थी. भारत ने आखिरी वनडे 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे जबकि रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर हैं.

भारतीय टीम में हुई 4 नेट बॉलर्स की एंट्री

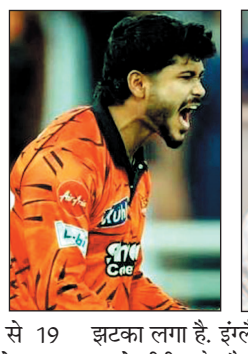

नई दिल्ली, 05 अगस्त. श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष कोटियन और विपराज निगम नेट बॉलर के तौर पर भारतीय टीम से जुड़ गए हैं. ये चारों खिलाड़ी श्रीलंका में तैयारी के दौरान शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम की मदद करेंगे.

भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कोलंबो में प्रैक्टिस मैच खेलेगी. टेस्ट सीरीज से पहले भारत 7 अगस्त से कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर तीन दिन का प्रैक्टिस मैच खेलेगा. पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा.

सीरीज से पहले भारत को कई खिलाड़ियों के चोटिल होने का झटका लगा है. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाएं घुटने में लगी चोट से पूरी तरह ठीक न हो पाने के कारण तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है. हर्षित राणा हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हैं, जबकि नितीश कुमार रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे. तेज गेंदबाज आकाश दीप भी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह अपनी पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन से उबर रहे हैं.

इन्फेंटिनो ने फीफा कर्मचारियों की आपात बैठक बुलाई

रबात, 05 अगस्त. अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने बढ़ रहे दबाव के कारण बुधवार को रबात में फीफा कर्मचारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है.

फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास प्रमुख और आर्सेनल के पूर्व प्रबंधक आर्सेन वेंगर ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि वह विश्व कप के संचालन के लिए एक कंपनी में निजी निवेश की मांग करने की योजना में 'शामिल नहीं थे', लेकिन इसे वापस लेने का निर्णय 'बिल्कुल आवश्यक और निर्विवाद' था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सप्ताहांत के बाद मोरक्को में बैठक बुलाई गई है और इसमें महासचिव मैटियस ग्राफस्ट्रॉम और फीफा प्रबंधन बोर्ड, संगठन के चीफ ऑफ स्टाफ डैनियल ओ'टूल, मुख्य कानूनी अधिकारी एमिलियो गार्सिया सिल्वेरो, सदस्य संघों के प्रमुख एल्खान मम्मादोव, मानव संसाधन प्रमुख किम्बर्ली मॉरिस, मीडिया निदेशक ब्रायन स्वानसन और संचार निदेशक डेविड फैरेली शामिल हैं. इन्फेंटिनो के बाद संगठन में दूसरे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ग्रैफस्ट्रॉम ने भी फीफा कर्मचारियों से संपर्क किया है.

एसए20 में शामिल हुए मिशेल मार्श और जो रूट

केपटाउन, 05 अगस्त. दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख लीग एसए 20 की छह फ्रेंचाइजी ने सीजन 5 के लिए अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों और प्री-ऑक्शन साइनिंग की पुष्टि कर दी है. इसके बाद विदेशी खिलाड़ियों की एक शानदार लिस्ट सामने आई है, जिसमें मिशेल मार्श, सैम करन, जो रूट, फिल साल्ट और जेसन होल्डर जैसे बड़े नाम शामिल हैं. खिलाड़ियों की नीलामी होनी अभी शेष है. डरबन सुपर जायंट्स और पार्ल रॉयल्स ने पहले ही अपनी 19 खिलाड़ियों की टीम पूरी कर ली है, जबकि बाकी चार फ्रेंचाइजी में अभी भी 19 जगहें खाली हैं. ऑस्ट्रेलिया के टी-20 कप्तान मार्श तीन बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप से जुड़कर अपना पहला एसए 20 सीजन खेलने के लिए तैयार हैं.

शुभदीप बने टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच

नई दिल्ली. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में बड़ा बदलाव हुआ है. इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज के बाद सहायक कोच रयान टेन डोशेटे के पद छोड़ने और फील्डिंग कोच टी दिलीप का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने शुभदीप घोष को टीम इंडिया का नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है. उनका पहला असाइनमेंट 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. शुभदीप घोष भारतीय घरेलू क्रिकेट का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने अपने खिलाड़ी करियर में असम और रेलवे का प्रतिनिधित्व किया. 1994 से 2005 के बीच उन्होंने 17 फर्स्ट क्लास और 17 लिस्ट-ए मुकाबले खेले.

कुल 34 मैचों में उनके नाम 623 रन दर्ज हैं, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं. वह बेहतरीन फील्डर भी रहे और अपने करियर में 16 कैच लपके. घोष के पास इंडियन प्रीमियर लीग का भी अच्छा अनुभव है. वह 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे, जब गौतम गंभीर की कप्तानी में टीम ने खिताब जीता था. इसके अलावा वह दिल्ली कैपिटल्स के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

ताइक्वांडो में बेटियां बना रहीं अपना भविष्य

कश्मीर में बदला माहौल...

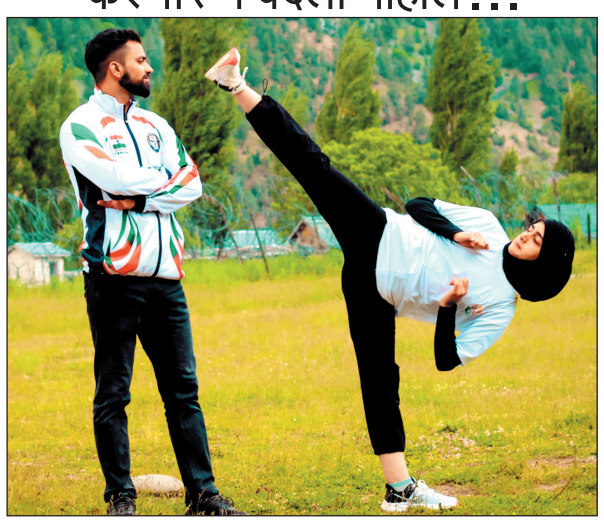

श्रीनगर, 05 अगस्त. ताइक्वांडो के लिटिल चैंप ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपनी कला से अचंभित कर दिया था. पांच साल की बच्ची पलक ने जब एक पंच सांसद रविकिशन को मारा तो बोले- बिटिया दमदार है भाई... गोरक्षनगरी में ऐसी एक नहीं, तमाम बच्चियां और नन्हें बच्चे भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं.

ओलंपिक में धाक जमाते रहे अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों की तर्ज पर अपने शहर में भी नन्हें बच्चे खेलों का अभ्यास में जुट जा रहे हैं. शहर में ताइक्वांडो के लिए तीन साल की उम्र से ही बच्चे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे रहे हैं. पांच साल तक पहुंचते-पहुंचते वे काफी हद तक प्रशिक्षित हो जा रहे हैं. ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स में अब भारत ज्यादा समय तक पीछे नहीं रहेगा, ऐसा बच्चों में खेलों के प्रति बढ़ते जुनून से साफ दिखाई दे रहा है. जिले में अब मार्शल आर्ट्स के लिए पौध तैयार हो रही है.

शाम के समय अगर आप पंत पार्क, दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज, तारामंडल आदि जगहों से गुजरेंगे तो ये आवाजें आपको सुनने को मिल जाएंगी. शहर में ताइक्वांडो का क्रेज इतना बढ़ गया है कि छोटी उम्र में ही बच्चे इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दे रहे हैं. तारामंडल स्थित एकेडमी में बुधवार को पांच साल के रक्षत ने जब किक मारना शुरू किया तो सभी हैरत में दिखाई दिए. ऐसे तमाम बच्चे इन एकेडमी में तैयार हो रहे हैं.

एंकर स्पोर्ट्स ने 'जाफना किंग्स' को खरीदा

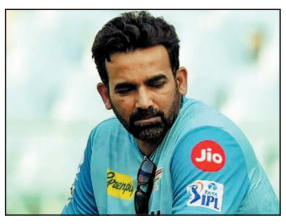

स्टॉकहोम, 05 अगस्त (वार्ता) भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान और उद्योगपति नागेंद्र सिद्दौताम के सह स्वामित्व वाली एंकर स्पोर्ट्स एबी कंपनी ने लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) की फ्रैंचाइजी 'जाफना किंग्स' का अधिग्रहण कर लिया है.

अब टीम का नया नाम एंकर जाफना किंग्स होगा. एंकर स्पोर्ट्स एबी के अधिग्रहण के साथ जाफना किंग्स एक बार फिर संगठित प्रबंधन के तहत लौट आई है. 23 जुलाई से टीम श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) और एलपीएल के अधिकारधारक इनोवेशन प्रोडक्शन ग्रुप (आईपीजी) के आपातकालीन नियंत्रण में थी, क्योंकि पिछले मालिकों का अनुबंध समाप्त कर दिया गया था. इस अधिग्रहण के साथ जाफना किंग्स अब एंकर स्पोर्ट्स एबी के बढ़ते वैश्विक मल्टी-क्लब स्पोर्ट्स नेटवर्क का भी हिस्सा बन गई है.

> आईपीजी की विज्ञप्ति के अनुसार, 'इस अधिग्रहण से एंकर स्पोर्ट्स के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को मजबूती मिली है. इसके अंतर्गत पहले से ही बेल्जियम की यूरोपियन टी-20 प्रीमियर लीग में एंटवर्प एंकर्स और कनाडा की सुपर60 लीग में वैनकूवर एंकर्स की पुरुष और महिला टीमें शामिल हैं. यह बदलाव जाफना किंग्स के पिछले मालिक स्पोर्ट्स कम्यून का अनुबंध समाप्त होने के दो सप्ताह से भी कम समय बाद हुआ है. स्पोर्ट्स कम्यून के सह-मालिक, भारत के पूर्व अंडर-19 क्रिकेटर मंजोत कालरा और उद्यमी मयंक गोयल थे.

वैभव पर कैफ ने टीम प्रबंधन को घेरा

नई दिल्ली. भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के करियर और उनके चयन को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम प्रबंधन के रवैये पर तीखे सवाल उठाए हैं. कैफ का मानना है कि आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर ऑरेंज कैप जीतने वाले इस 15 वर्षीय खिलाड़ी के साथ न्याय नहीं किया गया. कैफ का कहना है कि टीम प्रबंधन को आयरलैंड दौरे पर ही वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका देना चाहिए था. वैभव को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया गया था. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. हालांकि, इंग्लैंड में वैभव का बल्ला ज्यादा नहीं चला. लेकिन उन्होंने इससे सीख लेकर जिम्बाब्वे दौरे पर अपने दम दिखाया और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए. वैभव यह अवॉर्ड हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी (म.प्र.)

क्रमांक1072/खनिज/2026 E-mail id- modgmbar@mp.gov.in बडवानी दिनांक 30/07/2026

सूचना

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 - क)

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री मयूर पटेल पिता श्री सुरेश पटेल निवासी ग्राम कुण्डिया तहसील, व जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 22.01.2021 के पालन में गौण खनिज गिट्टी, (केशर से गिट्टी निर्माण हेतु) मुरूम एवं एम- सेण्ड जोड़ा जाकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18-क के तहत् नवीनीकरण उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2026 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	आवेदन आई.डी. क.
बड़वानी	बड़वानी	लोनसरा बुजुर्ग	101/1, 103/1, 105/1, 107/1/1	3.999 हेक्टेयर	शासकीय भूमि	गिट्टी, (केशर से गिट्टी निर्माण हेतु) मुरूम एवं खनिज एम-सेण्ड जोड़ा जाकर उत्खनिपट्टा नवीनीकरण हेतु	40808
			कुल रकबा	3.999 हेक्टेयर			

उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदित क्षेत्र के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो अथवा इस संबंध में कोई अन्य दावा प्रस्तुत करना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशित होनें की तारीख से 30 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला बडवानी में आपत्ति का लेख / कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।

नियत अवधि के उपरांत प्रस्तुत किसी भी आपत्ति / दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रभारी अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला बडवानी

G16735/26

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 08 सितम्बर 2026 से 10 सितम्बर 2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
179254990	नीरज मीना	डेहरिया सराय ग्रामीण
171068004	शक्ति सिंह सोलंकी	बड़वानी ग्रामीण
170664655	नारू पाटीदार	नीमच ग्रामीण
179049375	राजेश प्रजापत	खातेगांव ग्रामीण
171648568	शाहिद शेख	सनावद ग्रामीण

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :

1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

एसडी/-
दिनांक: 06.08.2026 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के
स्थान: मध्यप्रदेश अधिकृत अधिकारी

न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

द्वितीय एवं तृतीय मंजिल भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाइंस, जबलपुर म0प्र0 482001

(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रकिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए)

मूल आवेदन संख्या-1244/2024

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लि. आवेदक
विरुद्ध
आयुषी एंटरप्राइजेज और अन्य अनावेदकण

प्रति 1. M/S आयुषी एंटरप्राइजेज
इसके प्रोपराइटर (मालिक) के माध्यम से
श्री मुकेश पी, निवासी-320/11, खंडेलवाल कंपाउंड पालदा, जिला-इंदौर M.P. 452001
2. श्री मुकेश पी उम्र लगभग 46 वर्ष
निवासी- परम विहार फेज-2, सनावदिया इंदौर
जिला-इंदौर M.P. 452001

जबकि ओ.ए. संख्या 1244/2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 26/09/2025 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत समन/सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ.ए. आपके विरुद्ध मात्र **24,66,942.86/-** रुपये की ऋण वसूली के लिये दायर किया गया है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है कि:-

1. समन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहियें।
2. मूल आवेदन के कामंक 3ए में निर्दिस्ट संम्पत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों को विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियों की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के कमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियझें से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अधिकरण की पुर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रकिया के अलावा बिकी पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेगें जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और/या मूल आवेदन के कमांक 3ए में निर्दिस्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तातंरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रकिया के तहत् सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिकी से प्राप्त विकय राशि का हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसे विकय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदक को दी गई आवेदन की प्रति सहित लिखित बयान दाखिल करने और **30/12/2026 को सुबह 10:30** बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिती में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।

इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत **दिनांक 28 जुलाई 2026** को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर म.प्र.

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

द्वितीय एवं तृतीय मंजिल भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाइंस, जबलपुर म0प्र0 482001

(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रकिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए)

मूल आवेदन संख्या-1243/2024

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लि. आवेदक
विरुद्ध
मैसर्स डायनामिक करे अनावेदकण

प्रति 1. मैसर्स डायनामिक करे
इसके मालिक के माध्यम से
श्री किस्टल सिसौदिया, निवास-19, महादेवटोतला नगर, जिला-इंदौर म.प्र. 452001
2. श्री किस्टल सिसौदिया पुत्र टोडरमल सिसौदिया
उम्र लगभग 30 वर्ष
निवास एटी-19, महादेवटोतला नगर जिला-इंदौर, म.प्र. 452001
3. श्री टोडरमल सिसौदिया पुत्र बाबूलाल सिसौदिया
उम्र लगभग 58 वर्ष
निवास एटी-19, महादेवटोतला नगर जिला-इंदौर, म.प्र. 452001

जबकि ओ.ए. संख्या 1243/2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 26/09/2025 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत समन/सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ.ए. आपके विरुद्ध मात्र **27,31,939.40/-** रुपये की ऋण वसूली के लिये दायर किया गया है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देष दिये जाते है कि:-

1. समन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहियें।
2. मूल आवेदन के कामंक 3ए में निर्दिस्ट संम्पत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों को विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियों की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के कमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियझें से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अधिकरण की पुर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रकिया के अलावा बिकी पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेगें जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और/या मूल आवेदन के कमांक 3ए में निर्दिस्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तातंरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रकिया के तहत् सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिकी से प्राप्त विकय राशि का हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसे विकय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदक को दी गई आवेदन की प्रति सहित लिखित बयान दाखिल करने और **30/12/2026 को सुबह 10:30** बजे जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिती में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।

इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत **दिनांक 28 जुलाई 2026** को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर म.प्र.